



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संशोधित पत्र

संख्या: ACAD/ 115/16

दिनांक: ०५.१२.२०१६

प्रबन्धक/सचिव,
जे०डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल,
भौकरी, जी०टी० रोड़,
अलीगढ़।

विषय:- जे०डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, भौकरी, जी०टी० रोड़, अलीगढ़, उ०प्र० को स्विता प्रोप्रिएट योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटें एवं एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम में 29 सीटों के साथ सत्र 2015-2016 (एक वर्ष) की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पंत्राक संख्या JDAMC/395/12-2015 दिनांक 04.12.2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1118/सत्तर-2-2014-16(258)/2013, दिनांक 01 अगस्त, 2014 एवं कार्य परिपद की बैठक दिनांक 02.09.2014 के अनुसारन में आयुर्वेदिक/यूनानी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.02.2016 द्वारा स्नातक एवं परामानक सत्र पर आयुर्वेदिक संकाय के अन्तर्गत बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटें तथा एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम के 5 विषयों में 29 सीटें (आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-6 सीटें, किया शरीर-6 सीटें, रचना शरीर-6 सीटें, रस शास्त्र एवं शैधज्य कल्पना-6 सीटें, काय धिकित्या-05 सीटें) के प्रयोग समाप्त के साथ स्वतितप्रोप्रिएट योजना के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 (एक वर्ष) की सम्बद्धता के लिये सम्बन्धित महाप्रदान कर दी गयी है:-

- संस्था, शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ती छात्रों से लेनी तथा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के साधन/विविध वे सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था, महानिदेशक, विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार इनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर नियंत्रण द्वारा वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०सी०आई०एग० रेग्यूलेशन के अनुसार निर्धारित पठन विषय के उपरान्त ही कराई जायेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुमित्र शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिवर्तित कर दी गई है वह व्यवस्था अधिनियम की धारा-5(4) विलोपित किये जाने के अन्तर्गत की गई है।

भवदीय,

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, सी०सी०आई०एग०, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
- महानिदेशक, विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- निदेशक, आयुर्वेदिक (पाठ्यक्रम एवम् मूल्यांकन) उ०प्र० लखनऊ।
- कुलसचिव, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

कुलसचिव
२०